संख्या 2849 / II–2005–04(28) / 03

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग,उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांक 27 जून, 2005

विषय : वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाओं के लिए पुनर्विनियोग द्वारा धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 1820 / मु0अ0वि0 / बजट / बी–1, सामान्य, दिनांक 04.05.205 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न प्रपत्र बी0एम0–15 के कालम–5 पर अंकित योजनाओं के लिए बजट प्राविधान न होने के कारण संलग्नक में अंकित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से व्यावर्तन द्वारा रू0 280.00 लाख (रूपये दो करोड़ अस्सी लाख मात्र) की धनराशि के व्यय करने की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के विरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यों के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4– स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन / फॉट मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

5– जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक

क्रमश....2

प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक भारत सरकार, महालेखाकार उत्तरांचल राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

7– कार्य की समय बद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– विभागीय कार्य करने से पूर्व लोक निर्माण/सिंचाई विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा पुनर्विनियोग के कालम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत संलग्नक में आयोजनागत पक्ष के उल्लिखित उप शीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 699/वि0 अनु0–1 /2005 दिनांक 25 जून, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्या 2049 / I–2005–04(28)/03,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–1।
3– श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट,अनुभाग, उत्तरॉचल शासन।
4– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
6– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
7– कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, पौडी, नैनीताल, एवं ऊधमसिंह नगर उत्तरांचल।
8– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

आय–व्ययक प्रपत्र–15

नियंत्रक अधिकारी–मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सि0वि0, उत्तरांचल
प्रशासनिक विभागः– सिचाई विभाग, उत्तरांचल
अनुदान संख्या–20
वित्तीय वर्ष 2005–06
(अयोजनागत)

(धनराशि हजार रू0 में)

बजट प्राविधान एवं लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय 04/05 तक	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमे धनराशि स्थानान्तरित की जानी है	पुर्नविनियोग के बाद सतम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद सतम्भ–1 की कुल धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
4711–बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01–बाढ़ नियन्त्रण 103–सिविल निर्माण 03–अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव 24–बृहत निर्माण 150000	–	122000	28000	4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्य 04–नलकूपों का निर्माण 800–अन्य व्यय 02–अन्य रख रखाव व्यय 91–नलकूपों का निर्माण 24–बृहद निर्माण कार्य 28000	68000	122000	नाबार्ड से वित्त पोषित नलकूप निर्माण की योजना के लिए बजट साहित्य में कोई लेखाशीर्ष विद्यमान न होने के कारण निर्माणाधीन योजनाओं के लिए राज्य सेक्टर में बाढ़ सुरक्षा से योजना के लिए स्वीकृत बजट में से रू0 280.00 लाख का पुनर्विनियों प्रस्तावित है ।
150000	–	122000	28000	28000	68000	122000	

प्रमाणित किया जाता है कि पुर्नविनियोग से बजट अनुमान परिच्छेद 150,151,155 एवं 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नही होता है ।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्याः /वि0अनु0–3/2003–04
देहरादून दिनांक 2005

पुर्नविनियोजन स्वीकृत

(के0सी0 मिश्र)
अपर सचिव (वित्त)

सेवा में,
महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादन ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1– वित्त अनुभाग–3 उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
2– कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, ऊ0सि0नगर,एवं नैनीताल उत्तरांचल ।

आज्ञा से,
(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या– 2049 / II–2005–04(28) / 03 दिनांक 27 जून, 2005 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0		योजना का नाम	आवंटित धनराशि
		RIDF-VIII	
1	4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 04–नलकूपों का निर्माण 800–अन्य व्यय	जनपद देहरादून एवं पौड़ी में नलकूपों का निर्माण जनपद देहरादून 14 जनपद पौड़ी में 6	125.00
	02–अन्य रख रखाव व्यय 91–नलकूपों का निर्माण 24–बृहद निर्माण कार्य	*योग*	*125.00*
		RIDF-IX	
		जनपद हरिद्वार में 50 नलकूपों का निर्माण	100.00
1		नैनीताल के रामनगर में 10 नलकूपों का निर्माण	25.00
2		जनपद ऊधमसिंह नगर में 10 नलकूपों का निर्माण	30.00
		योग	*155.00*
		योग नलकूप निर्माण	*280.00*

(रूपय दो करोड़ अस्सी लाख मात्र)

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।